न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2009/00104 (88/2009) 223 आरटीएक्ट

1. भगवानाराम
2. रामसिंह

} पुत्रगण जीवण जाति जाट निवासीगण भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3. मांगीलाल पुत्र भागमल उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र जीवन जाति जाट निवासी कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा (मृतक जरिये वारिसान)

1/1 दुलीचन्द पुत्र सुरजाराम
1/2 किशनलाल पुत्र संरजाराम
1/3/1 चन्द्रकला पत्नी भूपसिंह पुत्र सुरजाराम
1/3/2 जयसिंह पुत्र भूपसिह पुत्र सुरजाराम
1/3/3 विजूदेवी पुत्र भूपसिंह पुत्र सुरजाराम
1/3/4 प्रमिला पुत्र भूपसिह पुत्र सुरजाराम

} जाति जाट साकिन वार्ड वार्ड नं. 6 कस्बा भादरा

1/4/1 कमलादेवी पत्नी स्व0 इन्द्रसिंह पुत्र सुरजाराम
1/4/2 नरेश पुत्र स्व0 इन्द्रसिह पुत्र सुरजाराम
1/4/3 मुकेश पुत्र स्वर्गीय इन्द्रसिंह पुत्र सुरजाराम
1/4/4 लीलादेवी पुत्री स्वर्गीय इन्द्रसिंह पुत्र सुरजाराम

} जाति जाट निवासी भादरा वार्ड नं. 9 तहसील भादरा

1/5 धापां देवी पत्नी स्वर्गीय सुरजाराम
1/6 दुलार पुत्री सुरजाराम
1/7 कमला पुत्री स्व0 सुरजाराम

} जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा

2. साधूराम पि0 मु0 मामचन्द जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा।
3. चानण पुत्र जीसुख जाति जाट निवासी कायमखानी बास तहसील भादरा –मृतक जरिये वारिसान

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3/1 महेन्द्राकुमारी पत्नी स्वर्गीय चानण
3/2 मोहरसिंह पुत्र स्व चानण
3/3 लालाराम पुत्र स्व0 चानण
} जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा।

3/4 गुड्डी पुत्री चानण
3/5 बाधो पुत्री चानण
3/6 बाला पुत्री चानण
} जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा

4. भोलाराम पुत्र जीसुख जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा
5. सोहनलाल पुत्र जीसुख जाति जाट निवासी कायमखानी बास भादरा तहीसल भादरा।
6. रामनिवास
7. विजेन्द्र
} पुत्रगण रूपराम जाति जाट साकिन कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा
8. सन्तो पत्नी मामचन्द पुत्री जीसुख निवासी कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
9. पूर्णीदेवी पुत्री जीसुख जाति जाट निवासी कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. परमेश्वरी पुत्री जीवण जाति जाट निवासी कायमखानी बास भादरा तहसील भादरा।
11. सन्तलाल पुत्री भागमल उर्फ भागीरथ जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा। —रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01.06.2009 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र. सं. 448/2003 बअनवानी भगवानाराम बनाम सुरजाराम आदि

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक — 25.02.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इश्तकरार हक व घोषणा का वाद पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9 के पूर्व बांकू उर्फ बल्लू उर्फ बालू की रोही भादरा करनपुरा बारानी एवं ढाणी खोरान में 107.06 बीघा बारानी व नहरी भूमि थी। बांकू के समय में चक 8, 10, 11 भादरा में ढाणी खोखरान व करनपुरा बारानी में हुआ करती थी जो वर्तमान में 8 बीएचडी, 10 बीएचडी, 11 बीएचडी ढाणी खोखरान व करनपुरा बारानी में है। पक्षकारान के मध्य 13.08.82 को लिखित विभाजन आपसी सहमति से हुआ जिसके मुताबिक ग्राम करनपुरा में स्थित 31.01 बीघा भूमि व चक 11 बीएचडी की 6.13 बीघा भूमि वाद के प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के पिता जीसुख के हिस्से में रखी गई। मामचन्द प्रतिवादी संख्या 2 के दत्तक ग्रहिता पिता के हिस्से में 10 बीएचडी की 2.176 है0 भी आई। ढाणी खोखरान में स्थिति 13.22 है0 भूमि जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता जीवण, मामचंद व जीसुख के नाम दर्ज थी सहवन से बंटवारे की लिखापढी में दर्ज होने से छूट गई थी जबकि उक्त भूमि में जीसुख को कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था तथा सम्पूर्ण रकबा जीवन व मामचन्द को प्राप्त हो गया था। मामचन्द के कोई सन्तान नहीं थी। मामचन्द ने अपने भाई जीवन के पोत्र साधुराम पुत्र सुरजाराम को दत्तक ग्रहण कर लिया था। संक्षेप में वादीगण–प्रतिवादी के पूर्वजों की कुल 107.06 बीघा बांकू के तीन पुत्रों जीवन–मामचन्द जीसुख में बहिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 तकसीम होकर पृथक कब्जा काश्त में चली गई थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में बाहमी बंटवारे का इन्द्राज नहीं हो सका था। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 ता 10 से वाद भूमि उनके नाम दर्ज करवाने को कहा व प्रतिवादी नं. 11 को ढाणी खोखरान की भूमि उनके नाम से खातेदारी दर्ज करने का कहा तो वे ऐसा करने से बमुकाम 28.09.2003 को साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही वाद कारण है। वादीगण ने वादपत्र में वर्णितानुसार ढाणी खोखरान की 13.219 है0 तथा चक 10 बीएचडी की 2.176 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का नाम कलमजन किया जाने तथा चक 8 बीएचडी की 2.277 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का नाम कलमजन किये जाने तथा वादीगण को मुताबिक बंटवारा पृथक–पृथक हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा।

2. प्रतिवादी सं0 1, 2, व 8 ने जवाब इकबाल पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6 व 7 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि मामचन्द ने साधूराम का दत्तक ग्रहण नहीं किया था तथा वह कुंवारा फौत हुआ था लिहाजा सम्पूर्ण आराजी 106 बीघा में बांकू के शेष 2 पुत्रों जीवण व जीसुख के वारिसों का 1/2, 1/2 हिस्सा हो गया था तथा वादीगण प्रतिवादी इसी अनुरूप मौका पर काबिज है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी जीसुख के नाम दर्ज ग्राम करनपुरा एवं चक 11 बीएचडी की कृषि भूमि संयुक्त परिवार की भूमि नहीं थी बल्कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के पिता जीसुख की खुद पैदाकर्दा भूमि थी जिसमें वादीगण व शेष प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं था तथा न ही उक्त आराजीयात बाहमी बंटवारे की लिखा पढी में शामिल थी। इस प्रकार चक 8 एच 10 बीएचडी तथा ढाणी खोखरान में स्थित आराजी जिसमें प्रतिवादीगण 3 ता 9 रिकार्डेड सहखातदेार हैं, अधिकार अभिलेख में दर्ज हिस्से के खातेदार है तथा काबिज खातेदार काश्तकार है लिहाजा उनका नाम अभिलेख में कलमजन नहीं किया जा सकता तथा इस आधार पर वाद खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय ने दावा, इकबालदावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री बखिलाफ कानून, नियम, वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा पत्रावली पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खिलाफ है तथा काबिल मन्सूखी है। वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा नीचे की पत्रावली पर प्रस्तुत जबानी व दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई गौर नहीं यिा गया है, कतई मनमाना स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध पारित किया है। वादीगण/अपीलाण्ट ने अपने जुम्मे तनकीयात को अपनी जबानी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया था मगर मातहत अदालत ने दावा वादीगण अपीलाण्ट डिक्री न कर कानूनी गलती की है। वादीगण आपीलाण्ट प्रतिवादी नं. 1 व 2 यानी रेस्पोडेण्ट संच 1 व 2 व रेस्पो0 संख्या 111 मुताबिक बंटवारानामा दिनांक 13.08.82 के मुताबिक करणपुरा में स्थित 31.01 बीघा व चक 11 बीएचडी की 6.13 बिघा भूमि वाद के प्रतिवादी नम्बर 3 ता 9 के पिता जीसुख के हिस्से आई थी तथा अन्य भूमि में प्रतिवादीगण नं. 3 ता 9 का कोई हक व हिस्सा नहीं था तथा ढाणी खोखरान की खाता संख्या 77/70 खसरा नं. 43 की 13.219 हैक्टर बारानी में प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 9 का कोई हक व हिस्सा नहीं था तथा उक्त मामचन्द व जीवण को बंटवारा में प्राप्त हुई थी तथा उक्त भूमि की वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के कब्जा काश्त में है तथा ना ही चक 8 बीएचडी की 2.277 है0 भूमि में प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 9 का कोई हक व हिस्सा है तथा चक 10 बीएचडी की 2.176 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 9 का कोई हक व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हिस्सा नहीं है उनका नाम कलमजन कर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था मगर मातहत अदालत ने बिना किसी विश्लेषण के पारिवारिक शांति, सद्भावना प्रगति के आधार पर हुए बंटवारानामा को ना मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है तथा निर्णय व डिक्री इसी आधार पर काबिल खारिजी है। सन् 1982 में हुए कृषि भूमि के बंटवारे को तथा अन्य दस्तावेजी व जबानी साक्ष्यों को न मानने का कोई तार्किक आधार अपने निर्णय में दर्ज नहीं किया है तथा कतई विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मामचन्द ने साधूराम का दत्तक ग्रहण नहीं किया था तथा वह कुंवारा फौत हुआ था लिहाजा सम्पूर्ण आराजी 106 बीघा में बांकू के शेष 2 पुत्रों जीवण व जीसुख के वारिसों का 1/2, 1/2 हिस्सा हो गया था तथा वादीगण प्रतिवादीण इसी अनुरूप मौका पर काबिज है। प्रतिवादी जीसुख के नाम दर्ज ग्राम करनपुरा एवं चक 11 बीएचडी की कृषि भूमि संयुक्त परिवार की भूमि नहीं थी बल्कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के पिता जीसुख की खुद पैदाकरदा भूमि थी जिसमें वादीगण व शेष प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं था तथा न ही उक्त आराजीयात बाहमी बंटवारे की लिख पढी में शामिल थी। इस प्रकार चक 8 एच 10 बीएचडी तथा ढाणी खोखरान में स्थित आराजी जिसमें प्रतिवादीगण 3 ता 9 रिकार्डेड सहखातदोर हैं, अधिकार अभिलेख में दर्ज हिस्से के खातेदार है तथा काबिज खातेदार काश्तकार है लिहाजा उनका नाम अभिलेख में कलमजन नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों की घोषणा का वाद अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 5 तनकीयात कायम की है।

8. तनकी नं. 1 यह थी कि ''आया वाद भूमि बांकू की 107.06 बीघा भूमि थी जो बाद गुजरने बाकुं उसके वारिसान मामचन्द, जीसुख व जीवण को विरास्तन प्राप्त हुई''। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

न्यायालय ने वादपक्ष की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–पी–1 ता पी–6 जो कि अधिकार अभिलेख (जमाबंदीया) की प्रतियौं हैं में से पी–1 ढाणी खोखरान में स्थित वाद भूमि 13.219 है0 (52 बीघा) से सम्बन्धी है। पी–1 जमाबंदी सम्वत 2059 के अनुसार वादग्रस्त आरजी रकबा 13.219 है0 का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 2 के कथित रूप से दत्तक ग्रहिता पिता मामचन्द के नाम तथा शेष 1/2 हिस्सा में से 1/4–1/4 हिस्सा शेष वादी–प्रतिवादी के नाम दर्ज है अर्थात कन्टैस्टिंग प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 का हिस्सा 1/4 है। इसी प्रकार करनपुरा की आराजी रकबा 31.01 बीघा में वादीगण प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि होना सिद्ध कर सके ऐसा कोई दस्तावेजी वादीपक्ष की और से पेश नहीं किया गया है जो कि आवश्यक दस्तावेज था और सहजता से प्रस्तुत किया जा सकता था। वादीगण द्वारा इस हेतु जमबंदी सम्वत 2050–53 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार सम्पूर्ण 31.01 बीघा रकबा एकमेव रूप से 3 ता 9 की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हक हिस्सा होना विचारण न्यायालय ने सिद्ध नहीं माना है। अर्थात अभिलेख ये यह सिद्ध नहीं है कि सम्पूर्ण 107.06 बिघा भूमि पुस्तैनी थी विशेष रूप से करनपुरा की 31.01 बीघा भूमि पुश्तैनी होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं है। विभाजन दस्तावेज दिनांक 13.08.82, पी–8 का राजस्व अभिलेख में अमल किया गया अथवा नहीं किया गया इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस दस्तावेज में ढाणी खोखरान की 52 बीघा भूमि को शामिल नहीं किया जाना मात्र भूल अथवा संयोग नहीं माना जा सकता है। दोनों पक्षों द्वारा दत्तक ग्रहिता पिता की मृत्यु के उपरान्त उसकी विरासत का निर्धारण हुआ अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई तथ्य किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा अपने वाद को साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं करने के कारण खारिज किया है जिसमें किस प्रकार की विधि अनियममिता है अपीलाण्ट ने अपील में स्पष्ट नहीं किया है। प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गई थी। कायम तनकियात परस्पर अर्न्तसम्बन्धित होने के कारण, मुख्यतः राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित होने के कारण तथा पक्षकारान द्वारा तनकीवार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण सभी तनकियात का विचारण एक साथ किया गया है, जिमसें हम किसी प्रकार की विधित त्रूटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्र दिनांक 01.06.2009 यथावत रखे जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:19:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: